

अरावली वनों में कचरा डंपिंग

चर्चा में क्यों?

हरियाणा वन विभाग ने नूंह के अरावली वन क्षेत्र में **नरिमाण मलबा** तथा **औद्योगिक कचरा** अवैध रूप से फेंकने के लिये तीन फर्मों पर **जुर्माना** अधिसूचना किये गये हैं।

- इस संबंध में **भारतीय न्याय संहिता, 2023** की धारा 223(B) और धारा 324(3) के साथ-साथ **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986** के प्रावधानों के तहत वधिक कार्रवाई आरंभ की गई है।

मुख्य बंदि

- **अरावली के बारे में:**
 - अरावली **वशिव का सबसे प्राचीन वलति पर्वत** है। भूवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार, इसकी आयु लगभग **तीन अरब वर्ष** आंकी गई है।
 - यह पर्वतमाला **गुजरात से दलिली तक फैली हुई है** (राजस्थान और हरियाणा होते हुए)।
 - इसकी सबसे ऊँची चोटी **माउंट आबू पर स्थिति गुरु शखिर** है।
- **जलवायु पर प्रभाव:**
 - अरावली पर्वतमाला उत्तर-पश्चिम भारत और उससे आगे के क्षेत्रों की जलवायु पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है।
 - मानसून के दौरान, पर्वत शृंखला मानसून के बादलों को धीरे-धीरे शामिल और नैनीताल की दशा में अग्रसर करती है, जिससे **उप-हिमालयी नदियों को पोषण** मलित है और **उत्तर भारतीय मैदानों की सचिाई संभव** होती है।
 - सर्दियों के महीनों में यह उपजाऊ जलोढ़ नदी घाटियों (सधु और गंगा) को मध्य एशिया से टंडी पश्चिमी हवाओं के हमले से बचाती है।
- **अरावली पर्वतमाला की पारस्थितिकि भूमिका:**
 - अरावली पर्वतमाला **थार मरुस्थल** के पूरव की ओर वसितार को रोककर **मरुस्थलीकरण** के वरिद्ध एक प्राकृतिक ढाल का कार्य करती है।
 - यह दलिली, जयपुर और गुरुग्राम जैसे प्रमुख शहरों को मरुस्थली अतकिरण और बढ़ती शुष्कता से संरक्षति रखती है।
- **नदियाँ:**
 - यह शृंखला **चंबल, साबरमती और लूनी** सहति कई महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल है।
 - ये नदियाँ उत्तर-पश्चिमी भारत में कृषि, पेयजल और क्षेत्रीय पारस्थितिकि तंत्र के लिये महत्वपूर्ण हैं।
- **जैव विविधता हॉटस्पॉट:**
 - अरावली के **वन, घास के मैदान** तथा **आरद्रभूमि** कई **लुप्तप्राय पौधों और जानवरों की प्रजातियों** के लिये **आश्रय स्थल** हैं, जिससे यह एक **महत्वपूर्ण पारस्थितिकि आवास** बन गया है।
- **अरावली पारस्थितिकि तंत्र के लिये खतरे:**
 - **सर्वोच्च नयायालय** ने वर्ष 2009 में हरियाणा के फरीदाबाद, गुणाँव (अब गुरुग्राम) और नूंह ज़िलों की अरावली रेंज में **खनन पर पूरण प्रतबिध** लगाने का आदेश दया।
 - **अवैध खनन, अत्यधिक चारण** और **मानव अधवास** पूरे क्षेत्र में भूमि क्षरण को तेज़ कर रही हैं।
 - ये गतविधियाँ भूमिगत जलभृतों को क्षति पहुँचा रही हैं, झीलों को शुष्क बना रही हैं तथा वन्यजीवों और जैवविविधता को सहारा देने की पर्वत शृंखला की क्षमता को कमज़ोर कर रही हैं।